

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 90-ए/2015

F.No. 230301060412015

संस्थापित दिनांक- 20.11.2015

1. जयवीरसिंह उर्फ जयसिंह उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री भोगीराम आयु 40 वर्ष
2. जनवेदसिंह पुत्र श्री भोगीराम उम्र 35 वर्ष
3. राजबहादुर उर्फ रामबरन पुत्र श्री भोगीराम उम्र 52 वर्ष
4. अहिबरन पुत्र श्री भोगीराम उम्र 48 वर्ष,
5. हुकुमसिंह पुत्र श्री भोगीराम उम्र 38 वर्ष
निवासीगण ग्राम परा परगना अटेर जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... आवेदकगण/वादीगण

वि रु द्ध

1. श्रीमती रेखा पत्नि श्री राजेशसिंह भदौरिया उम्र 40 वर्ष,
2. सुजीतसिंह पुत्र श्री महावीरसिंह उम्र 37 वर्ष
3. श्रीमती सुनीता पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह भदौरिया उम्र 35 वर्ष
निवासीगण ग्राम परा तहसील अटेर जिला भिण्ड (म.प्र.)

अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //

(आज दिनांक **14.02.2017** को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 19.11.2015 का निराकरण करेगा।

2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा परा परगना अटेर जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3144 रकवा 0.03 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 3148 रकवा 0.26 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकवा 0.29 हैक्टर के वादीगण भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में वादीगण की भूमि से लगी हुई प्रतिवादीगण की भूमि है, जिस पर प्रतिवादीगण अपना कृषि कार्य करते हैं और वादीगण एवं प्रतिवादीगण पड़ोसी कृषक है। दिनांक 03.11.2015 को वादीगण अपने पिता भोगीराम के विवादित कृषि भूमि पर कृषि कर रहे थे, तभी प्रतिवादीगण 1 व 3 के पति मौजा पटवारी को अपने साथ लेकर

विवादित कृषि भूमि पर बने हुए कुए पर पहुंच कर लिखा पढ़ी करने लगे, जब पिता भोगीराम ने पटवारी से कार्यवाही के संबंध में पूछने पर पटवारी ने बताया कि कुआ पर प्रतिवादी क्रमांक 1 रेखा के नाम से टयूबवेल लगवाने हेतु विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है इसलिये विद्युत के लिये प्रतिवेदन तैयार करना है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 श्रीमती रेखा ने बताया कि कुआ और उसमें लगी हुई उत्तर पूर्व दिशा की समस्त भूमि उसकी है। वादीगण ने प्रतिवादी से कहा कि उक्त कुआ उन्होंने खुदवाया है और 6-7 वर्षों से उक्त कुये से पानी लेकर कृषि कार्य कर रहे हैं। इसी बात पर प्रतिवादीगण गाली गलौज करने लगे और जमीन जुतवाने लगे तथा रोकने पर झगडा करने लगे। प्रतिवादीगण ने वादीगण को स्वत्व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 3144 के संपूर्ण भाग पर एवं 3148 के आधे भाग पर मय कुआ के कब्जा कर लिया और वादीगण को बेदखल कर दिया। प्रतिवादीगण राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित भूमि पर स्थाई विद्युत कनेक्शन लेने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादीगण के पक्ष में है। अतः इस आशय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर बने वादीगण के स्वामित्व के कुये पर स्थाई तौर पर विद्युत कनेक्शन न ले। आवेदन के समर्थन में वादी जयवीर सिंह ने शपथ पत्रीय कथन प्रस्तुत किया है।

3. प्रतिवादीगण ने लिखित कथन एवं आवेदन के जवाब में वाद पत्र तथा आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये व्यक्त किया है कि वे बाबा एवं पिता के समय से विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण की भूमि है और उस पर उनके स्वत्व स्वामित्व का कुआ स्थित है और बहुत पुराना विद्युत कनेक्शन है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 4 एक पक्षीय है।

आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

- अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?
- ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?
- स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदकगण/वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

5. वादीगण के अभिवचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 3144 एवं 3148 है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत खसरा वर्ष 2014-15 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि 3144 एवं 3148 वर्ष 2014-15 में वादीगण के आधिपत्य की होना प्रकट हो रही है।

6. इस आवेदन में वादीगण ने यह सहायता चाही है कि प्रतिवादीगण उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर स्थित कुये पर विद्युत कनेक्शन न ले। प्रतिवादीगण की ओर से विद्युत मण्डल की रसीदे प्रस्तुत की गई है, जो कि दिनांक 03.11.2015 एवं 26.11.2015 की होना प्रकट है। यह वाद वादीगण ने दिनांक 19.

11.2015 को प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत विद्युत बिल की रसीदों से प्रथम दृष्टया यह दर्शित हो रहा है कि वाद संस्थित किये जाने के पूर्व ही दिनांक 03.11.2015 को प्रतिवादीगण ने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवश्यक राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर ली है।

7. वादीगण के अनुसार भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है। अभिवचन में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को स्वयं के स्वामित्व की होना बताया है और प्रतिवादीगण ने स्वयं के स्वामित्व की होना बताया है। उभयपक्ष की ओर से स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में इस तथ्य का निर्धारण उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरांत ही किया जाना संभव है कि वादग्रस्त भूमि किसके स्वामित्व की है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

8. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का वादी के पक्ष में होने का संबंध है, चूंकि प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं पायी जाती।

9. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादीगण के पक्ष में न होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी पी सी निरस्त किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 14.02.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)